अपील-6373/2018/छिंदवाड़ा/भू.रा.

**समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)**

**निगरानी प्रकरण कमांक– /2018**

**निगरानीकर्ता** कमलेश शाह पिता स्व. उग्र प्रताप शाह, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी– राजमहल हर्रई, वर्तमान विधायक विधानसभा अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा संभाग जबलपुर (म.प्र.)

**विरूद्ध**

**प्रत्यर्थी** :– म.प्र. शासन, द्वारा–कलेक्टर छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

**निगरानी अंतर्गत धारा ~~50~~ 44(2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959**

निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 0560/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 एवं कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा प्रकरण कं. 0048/बी–121/2017–18 में पारित दिनांक 27.12.2017 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के द्वारा प्रस्तुत करते है :–

OATH COMMISSIONER
Smt. L. D. Patel
B.A. LL.B.
JABALPUR

**प्रकरण के तथ्य**

1. यह कि, अपीलार्थी म.प्र. राज्य के छिन्दवाड़ा जिले का स्थायी निवासी है तथा राज घराने से संबंध रखता है ।

2. यह कि, राजघराने की संपूर्ण संपत्तियों पर अपना वैधानिक अधिकार सुरक्षित रखता है एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा वह गौड़ जाति के अंतर्गत आता है । राजवंश की उत्तराधिकारिता के आलोक में निगरानीकर्ता के पास छिन्दवाड़ा जिले के साथ–साथ आसपास के अन्य जिलों में चल एवं अचल संपत्ति विद्यमान है इस कारण

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0, प्र0, ग्वालियर
## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक अपील–6373 / 2018 / छिन्दवाडा / भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 7.12.18 | अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुशील मिश्रा उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 0560 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.7.18 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है।<br>2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी जिला छिन्दवाडा का स्थाई निवासी होने के सांथ साथ राज घराने की संपूर्ण संपत्तियों पर अपना वैधानिक अधिकार सुरक्षित रखता है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण उसके द्वारा जिला छिन्दबाडा के न्यायालय में ग्राम हर्रई तहसील हर्रई जिला छिंदवाडा में स्थित खसरा नं0 2 / 8 रकवा 3.300 हेक्टेयर हर्रई नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर –1 में स्थित है। उसको श्री समर्थ शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति हर्रई महाविद्यालय हेतु दान में स्वेच्छा से देना चाहता है। कलेक्टर जिला छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण कमांक 0048 / बी–121 / 2017–18 पर दर्ज कर दिनांक 27.12.17 को अपने आदेश में यह लेख करते हुये निरस्त कर दी कि क्षेत्राधिकार में न होने से निरस्त किया | |

जाता है। इससे दुखित होकर अपील अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा 0560/अपील/2017–18 पर दर्ज करते हुये कलेक्टर जिला छिंदवाडा का आदेश स्थिर रखते हुये दिनांक 24.7.18 को अपील निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.12.17 को एक आवेदन पत्र मौजा ग्राम हर्रई के खसरा नंबर 2/8 रकवा 3.300 है0 में से 1.00 है0 भूमि श्री समर्थ शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति हर्रई को महाविद्यालय हेतु दान में दिये जाने हेतु आवेदन पत्र कमांक 4448/17 जिला कलेक्टर छिन्दवाडा को प्रस्तुत किया था। कलेक्टर द्वारा बिना अवलोकन किये आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में स्वास्थ्य विभाग को खसरा नंबर 624/6 एवं 624/4 रकवा 1.214 है0 भूमि अस्पताल निर्माण हेतु वर्ष 2015 में दान में दी जा चुकी है। अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी राजवंश एवं राज परिवार का सदस्य है तथा मध्यप्रदेश राज्य के भिन्न–भिन्न जिलों की विभिन्न भूमियों की कुल माप पांच एकड़ सिंचित तथा 10 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक है तथा उक्त भूमियां किसी भी विल्लंगम या भार से मुक्त है। अपीलार्थी इस हेतु दान देने हेतु वैधानिक रूप से स्वतंत्र है। उक्त भूमि को दान देने हेतु किसी भी व्यक्ति निकाय, संस्था,

सरकारी अर्द्व सरकारी विभाग या अन्य तरीके से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है, और अपीलार्थी की भूमि अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आती है। उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

4–अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्क सुने। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में धारा–5 का आवेदन सदभाविक होने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा की प्रति वर्ष 2018–19 में अपीलर्थी के नाम खसरा कमांक 2/8 रकवा 3.300 है0 भूमि है। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किस्तबन्दी खतौनी वर्ष 2018–19 में उसके नाम कुल किता 28 रकवा 35.177 है0 भूमि है, इससे यह तो सिद्व होता है कि खसरा नंबर 2/8 रकवा 3.300 है0 में 1.00 है0 भूमि श्री समर्थ एवं सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति हर्रई महाविद्यालय हेतु दान में दिये जाने के पश्चात पर्याप्त भूमि शेष बचती है। अपीलार्थी वर्तमान में विधायक है इससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ कोई छल–कपट हो रहा है, कलेक्टर जिला छिंदवाडा द्वारा पारित आदेश में अधिसूचना कमांक–5–3–76–384–सात–नं.1 दिनांक 21.2.1977 का उल्लेख कर अधिसूचित क्षेत्र का हवाला दिया जाकर दान की अनुज्ञा को

अपास्त किया गया है जबकि अपीलार्थी की भूमि अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आती है, क्यों कि **भारत के राजपत्र असाधारण भाग–2 खण्ड–3–उपखण्ड–1, विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20.2.03 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के भीतर छिन्दवाडा जिले के अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 48 राजस्व निरीक्षक मण्डल हर्रई अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आता है।** इसी प्रकार म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में पृष्ठ 544 पर अंतरण पर रोक की सूची में हर्रई तहसील नहीं आती है। इसलिये कलेक्टर जिला छिंदवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.17 में अधिसूचना कमांक–5–3–76–384–सात–नं.1 दिनांक 21.2.1977 का उल्लेख कर अधिसूचित क्षेत्र का हवाला दिया जाकर दान की अनुज्ञा को अपास्त किये जाने में त्रुटि की गई है क्यों कि दान में दी जा रही भूमि लोक हित में दी जा रही है। अतः इस प्रकरण में यह अधिसूचना लागू नहीं होती है। अपीलार्थी स्वयं की भूमि दान में दिये जाने हेतु स्वतंत्र है, और अपीलार्थी द्वारा लोक हित में श्री समर्थ एवं सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति हर्रई महाविद्यालय हेतु दान में दी जा रही है। इसके पूर्व वर्ष 2015 में **अपीलार्थी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को खसरा नंबर 624/6 एवं 624/4 रकवा 1.214 है0 भूमि अस्पताल निर्माण हेतु दान में दी जा चुकी है।** इससे प्रतीत होता है कि कलेक्टर जिला छिंदवाडा का आदेश दिनांक 27.12.17 अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में त्रुटि की गई है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग

जबलपुर का प्रकरण कमांक 0560/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.7.18 एवं कलेक्टर जिला छिंदवाडा का प्रकरण कमांक 0048/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.12.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। तथा अपीलार्थी को खसरा नंबर 2/8 रकवा 3.300 है0 में 1.00 है0 भूमि श्री समर्थ एवं सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति हर्रई महाविद्यालय हेतु भूमि दान में दिये जाने हेतु स्वतंत्र है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य